...से ... गई। जिस शामिल पत्रावली की गई एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 CPC का पेश किया जिसकी प्रति विपक्षी के अधिवक्ता को दिलाई जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी स 6 से 8 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हैं। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस संशोधित प्लीडिंग के दिनांक 5/2/20 को पेश हो।

5/2/20 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। वादी के अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्लीडिंग पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही के दिनांक 13/2/20 को पेश हो।

13/2/20 पत्रावली पेश ... उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासी... अवकाश में होने/अन्... में व्यस्त होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से पत्रावली वास्ते...आगामी...आदेश दिनांक 18/2/20 को पेश हो।

प्रा.क्र. मू.न. 69/16 2016/00232 भैरा v/s बकतनाथ

18/2/20 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता के उप. ... प्रकरण लगान आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगणों के पिता व दादा व दादीया ससुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मेवाड़ स्टेट की पश्चात नरपुर द्वारा सम्वत 2013 में खाता रिजूम हो जाने से भापी की भूमि अपने कब्जे में लेकर काबिज काश्तकारान के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये तब से प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। विपक्षी लक्ष्मीलाल के वारिसान का कोई कब्जा नहीं रहा है किन्तु राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मीलाल का नाम चला आ रहा है जिससे भूमि खुर्द बुर्द होने की सम्भावना है जिसे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विपक्षीगणों को पाबन्द किया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि लक्ष्मीलाल के वारिसान को नामान्तरकरण 1531 निरस्त होने से विचाराधीन है। लक्ष्मीलाल के नाम खातेदारी दर्ज है विपक्षी लक्ष्मीलाल के विधिक वारिसान है मौके पर कब्जा खातेदार का है। प्रार्थी कब्जे में नहीं आया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी भूमि का वाद विचाराधीन है। इस प्रकरण में दिनांक 24-8-2016 को अन्तरिम आदेश पारित किया गया है। प्रथम प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्र०स० 69/2016 (2016/00232)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी को क्षति होने की सम्भावना है प्रकरण मैं पक्षकारो के मध्य कानून की पेचीदगी को रोकने के लिए दिनांक 24-8-2018 को जारी आदेश को कन्फर्म किया जाना उचित है। तथा विपक्षी गणो को पाबन्द किया जाना उचित है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि विपक्षी गण प्रार्थना पत्र मैं वर्णित ग्राम आराजीयात की आ०न० 478 रकबा 0.21 है आ०न० 508 रकबा 0.17 है आ०न० 488 रकबा 0.20 है आ०न० 489 रकबा 0.38 है आ०न० 509 रकबा 0.04 है आ०न० 479 रकबा 0.25 है आ०न० 510 रकबा 0.09 है आ०न० 487 रकबा 0.02 है आ०न० 2105 रकबा 0.29 है आ०न० 2106 रकबा 1.60 है आ०न० 2179 रकबा 2.00 है आ०न० 2180 रकबा 0.27 है के रेकार्ड स्थिति मौके की यथा स्थिति रतन बच बाधित नही करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त से बेदखल नही करे कुल वाद के ताफैसला रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी अनुसार फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

(मुहर: सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर, जिला भीलवाड़ा — सत्यमेव जयते)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: